न्यायालयः— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, अररिया।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या—542 / 2026</u>

भरगामा थानाकांड संख्या—387 / 2024

हेलाल उर्फ मो0 हेलाल आलम एवं 22 अन्य.....आवेदकगण।
बनाम
राज्य सरकार

उपस्थिति :—
वास्ते आवेदक :— श्री पवन कुमार यादव, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :— मो0 अब्दुल मन्नान, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

<u>आदेश</u>

<u>22.05.2026</u> आवेदकगण / अभियुक्तगण 1—हेलाल उर्फ मो0 हेलाल आलम, पिता अवसार उर्फ अवसार आलम, 2—मो0 गुलफराज, पिता स्व0 फिरोज, 3—सरफराज उर्फ मो0 सरफराज आलम, पिता स्व0 फिरोज, 4—शिवगुतल्ला, पिता मो0 एकरामुल हक, 5—समीर उर्फ मो0 समीर आलम, पिता कौसर, 6— मो0 अकबाल, पिता मो0 जुबेर आलम, 7—वसीउल्ला उर्फ मो0 बसिउल्लाह, पिता मो0 जुबेर आलम, 8—मो0 आलम, पिता हमीद, 9—मोहम्मद कौसर, पिता जुबेर आलम, 10—जुबेर उर्फ जुबेर आलम, पिता हमीद, 11—अफजल, पिता अफरोज, 12—इकराम उर्फ मो0 इकरामुल हक, पिता हमीद, 13—फरहाना, पति आजम, 14—सोनु उर्फ शहनवाज, पिता स्व0 शमीम, 15—मोजाहिद उर्फ मो0 मोजाहिदुल इसलाम, पिता मो0 इकरामुल हक, 16—हसरत प्रवीण, पति अकबाल, 17—हन्नान, पिता रसीद, 18—शदाब, पिता आजम, 19—साहिल, पिता आलम, 20—अफसार उर्फ मो0 अवसार, पिता स्व0 फिरोज, 21—मोहम्मद मजहर उर्फ मजहरूल इसलाम, पिता एकरामुल हक, 22—अजमुतुल्ला उर्फ मो0 अजमुतुल्लाह, पिता इकरामुल हक, 23—आजम, पिता हमीद, सभी साकिनान— विषहरिया, थाना— भरगामा, जिला— अररिया, की ओर से अपनी गिरफ़्तारी की आशंका के आधार पर BNSS की धारा 482(1) के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक— 09.03.2026, जो भरगामा थानाकांड संख्या—387 / 2024 अंतर्गत धारा—126(2), 115(2), 118(1), 303(2), 109, 76, 352, 3(5) बी.एन.एस. से संबंधित है, जिसकी एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी जा चूँकी है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। उक्त आवेदन पर उभय पक्षों को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि, सूचक मो0 इजहार आलम, जिसका निजी जमीन मो0 जमसेद के घर के बगल में है, जिसमे मकई का फसल लगा हुआ है। दिनांक 19.12.2024 को समय 12:50 बजे में सूचक अना लड़का फौवाद आलम के साथ मोटरसाईकिल से मकई देखे गये थे कि अचानक प्राथमिकी अभियुक्त मो0 अकवाल ने गाली देतु हुए बोला कि साला इजहार खेत देखने आया है आवाज देते हुए अपने परिजन को बुलाया जो सभी उपरोक्त आवेदकगण सह प्राथमिकी अभियुक्तगण है ने अपने—अपने हाथ में फरसा, लोहा का रड, लाठी थ्रीनट के साथ सूचक के मकई के खेत पर आया तो अभियुक्त मो0 अकवाल ने आदेश दिया कि आज सूचक एवं उसका पुत्र पकड़ा गया है, जिसे मार दो जान से और आदेश पाते ही अभियुक्त कौसर ने हाथ में लिए लाठी लेकर दो तीन लाठी मारा और गाली देते हुए सूचक को कहा कि आज तुम्हें जान से साफ कर देंगे, यह देख सूचक का लड़का के द्वारा जब सूचक को बचाया गया तो अभियुक्त अजमुतुल्ला ने अपने हाथ में लिए फरसा लेकर जान मारने की नियत से सूचक के बेटा के माथा पर मार दिया, जिससे उसका सर फट गया और खून बहने लगा। हल्ला पर सूचक की पत्नी फरहत आरा एवं भतीजा शाहीद अफरीदी, भांजा रासीक दौड़कर बचाने आया तो सूचक की पत्नी को अभियुक्त गुल्फ राज ने लाठी एवं सरफराज ने फाईट मुक्का से मारा और उसका पहना जेवरात खींच कर ले लिया। मारपीट के क्रम में सूचक का बेटा का मोबाईल भी अभियुक्तगण द्वारा छीन लिया। मारपीट के क्रम में अभियुक्तगण द्वारा सूचक की पत्नी के सलवार कमीज खींचकर फाड़ दिया, जिससे सूचक की

लगातार—

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–542 / 2026

लगातार

22.05.2026 पत्नी बेनग्न हो गयी और सूचक के विरोध करने पर उस पर अभियुक्त अफसार ने धक्का–मुक्का दिया और धमकी दिया कि आज सूचक एवं उसके परिवार वालों को जान से मार देंगे। घटनास्थल पर बहुत सारे लोग आये जो घटना को शांत करवायें तब हम अपने सभी जख्मी को इलाज कराने हेतु भरगामा लायें।

आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण की ओर से नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो श्रीमान् के न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर नहीं किया गया है। आवेदकगण का पूर्व में एक मुकदमा 1376 सी0 / 22 है, जो सूचक के द्वारा ही किया गया है, इसके अलावे कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के द्वारा किसी प्रकार का अपराध नहीं किया गया है और वे बिल्कुल निर्दोष है। आवेदकगण एवं सूचक खास दियाद है इनलोगों को पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा है, जमीनी विवाद के चलते ही मुकदमा को बढ़ा चढ़ाकर करवा दिया है, जबकि इस तरह का कोई घटना घटित नहीं हुआ है। आवेदक मो0 इकबाल ने सूचक इजहार आलम इत्यादि पर धमकी देने का सनहा संख्या 512 / 24 दर्ज किया था, उसी सनहा के चलते मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आवेदकगण को केस डायरी के पारा 60 में बंधपत्र पर मुक्त किया गया है, और आवेदकगण थाना में भी उपस्थित रहा है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण / अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है, जिनपर प्राथमिकी के अनुसार सूचक एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ जान मारने की नियत से मारपीट करने एवं गहना एवं मोबाईल छीनने का आरोप है। कांड दैनिकी के पारा 28 में जख्मी फवाद आलम का जख्म प्रतिवेदन है, जिसमें Nature of injury simple है। पारा 29 में मो0 राशीद का जख्म प्रतिवेदन है, जिसमें Nature of injury simple है। पारा 30 में शाहीद अफरीदी का जख्म प्रतिवेदन है, जिसमें There was no any external visible injury वर्णित है। पारा 31 में जख्मी फरहद आरा का जख्म प्रतिवेदन वर्णित है, जिसमें There was no any external visible injury वर्णित है। आवेदकगण / अभियुक्तगण को कांड दैनिकी के पारा 60 में बी0एन0एस0एस0 की धारा 35(3) का लाभ दिया गया है। अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण होकर संज्ञान लिया जा चुका है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति में आवेदकगण को मो0 दस हजार रूपये के दो समान प्रतिभू सहित बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है तथा आवेदकगण को निर्देश दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में आदेश प्राप्ति के तीन सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने पर या गिरफतार होने पर एवं अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि पर बी.एन.एस.एस. की धारा–482(2) की शर्तो के अनुपालन करने एवं विचारण में सहयोग करेंगे। आवेदकगण / अभियुक्तगण द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 11.03.2026 को **स्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)
Sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
अररिया।